"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री टोप्पो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

2. श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री अंकित आनंद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर केवल प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007) अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2011

क्रमांक एफ 10-28/2010/16.—जबकि छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-10-2010 द्वारा राज्य शासन ने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से एवं केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों तक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के प्रावधानों को उस अधिसूचना के एक माह पश्चात् विस्तार के आशय की सूचना दी है.

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 12-11-2010 को उपलब्ध करा दी गई है.

और जबकि अधिसूचना के संबंध में उक्त एक माह की अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं.

अब इसलिये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श एवं केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को उन स्थापनाओं की श्रेणियों तक जो स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं, विस्तार करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

स्थापनाओं का वर्णन (1)	ऐसे क्षेत्र जिसमें स्थापनायें स्थित हैं (2)
निम्नलिखित स्थापनाएं जिस पर दस या अधिक व्यक्ति नियोजित है अथवा पिछले 12 माह में किसी दिन नियोजित थे, जैसे— 1. दूकान; 2. भोजनालय; 3. जलपान गृह; 4. सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं; 5. सिनेमा घर पूर्व दर्शन रंगशाला सहित; 6. श्रम जीवि पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1955 (1955 का 45) की धारा की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित समाचार पत्र स्थापनाएं; 7. शैक्षणिक संस्थाएं (लोक, निजी, अनुदान प्राप्त अथवा आंशिक अनुदान प्राप्त) जिनका संचालन व्यक्तियों न्यासियों, समितियों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है.	ऐसे समस्त क्षेत्रों जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधान, अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत पहले से प्रवृत्त किये जा चुके हैं.

No. F 10-28/2010/16.—Whereas by a notification of the Government of Chhattisgarh, deptt. of labour even number dated 22-10-2010 the State Government, in consultation with the employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government, gave notice of its intention to extend the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) to certain classes of establishments specified in the Schedule to the said notification after one month from the date of that notification.

And whereas the copies of said notification were available to the public on 12-11-2010.

And whereas, no objections and suggestions have been received within the said period of one month in respect of said notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the State Government of Chhattisgarh in consultation with the employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government, hereby extends the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in Column (1) and situated within the areas sepcified in column (2) of the Schedule in the State of Chhattisgarh, namely :—

SCHEDULE

Descriptions of establishments (1)	Areas in which the establishments are situated (2)
The following establishments whereon ten or more persons are employed, or were employed on any day of the preceding twelve months, namely — 1. Shops; 2. Hotels; 3. Restaurants; 4. Road Motor Transport establishments; 5. Cinemas including preview theatres; 6. Newspaper establishments as defined in Section 2 (d) of the working Journalists (Condition of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955); 7. Educational Institutions (Including public, private, aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other organizations.	All areas where the provisions of the ESI Act, 1948, have already been brought into force under section 1 (3) of the Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्रमांक/एफ 1-125/वस/2001/10-2.—मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25/50/98/10-3 दिनांक 11 सितम्बर 1998 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल का आदेश क्रमांक/47 दिनांक 16-04-99 से जिला कोरिया के कोरिया वनमंडल